



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 24—मार्च 30, 2019, शनिवार/ चैत्र 3—चैत्र 9, 1941
No. 13] NEW DELHI, MARCH 24—MARCH 30, 2019, SATURDAY/ CHAITRA 3 — CHAITRA—9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019

सा.का.नि. 82.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना उपक्रम [अनुसंधान तथा विकास प्रबंधक, उप उत्पादन प्रबंधक, शिफ्ट केमिस्ट (रसायन इंजीनियर) और रसायन इंजीनियर (डिजाईन)] भर्ती नियमावली 1986, में इस प्रकार के अधिकरण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका सम्बन्ध उप उत्पादन प्रबंधक के पद से है, राष्ट्रपति एतद्वारा उप उत्पादन प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—

(क) इन नियमों का शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, उप उत्पादन प्रबंधक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाएगा।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेंट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मेंट्रिक्स में उनका स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	(12)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, New Delhi - Chairman; 2. General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch - Member; 3. General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur - Member.	(13) Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
			Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contact).

[F.No. II(17)3/Estt/CCF/2011]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2019

सा.का.नि. 83. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और शरंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, कनिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरूहता—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

- शिथिल करने की शक्ति—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।
- व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री। अनुभव : किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय में रोकड़ लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी जो :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है :या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रु.) में उस पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की है : या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर

जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		-4 (25500-81100 रु.) में उस पद पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 से अधिक नहीं होगी।
---	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) लागू नहीं होता।	(12) विभागीय प्रोन्नतिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (4) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[फा.सं.ए-12018/12/2017-ईपीआई]

जी के पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th March, 2019

G.S.R. 83.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accounts Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: -

- Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Junior Accounts Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2019.
- They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, -
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Accounts Officer.	1*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level -6, in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable	Not exceeding 30 years Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Degree of a recognised University or Institute. Experience: Two years experience in cash, account and budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or autonomous body or statutory body. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent	Not applicable	2 years	By direct recruitment. Note1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government.- (a) (i)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With six years regular service in

<p>Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		<p>posts in level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300); or (iii) with 10 years regular service in the posts in level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100); and (b) possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under Column 7. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
<p>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made (11)</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)</p>
<p>Not applicable</p>	<p>(12) Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director, General (Public Health) 2. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai 3. Director, Directorate General of Health Services 4. Deputy Director Admn.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. A-12018/12/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)**

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2019

सा.का.नि.84.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंप्रुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 1984 और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग (कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।